अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
Phone/Fax :-05964-234118
Email address:-eepmgsylohaghat@gmail.com

दिनांक 25.11.2019।

पत्रांक-869/पी0एम0जी0एस0वाई0/ वनभूमि

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :— जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टनकपुर तवाघाट मोटर मार्ग से सिंगदा हेतु 3.915 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्ययावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— आपका पत्रांक 1195/PF/UK/ROAD/39053/2019 : देहरादून दिनांक 04 नवम्बर 2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव में लगाये गये ऑनलाइन आपत्तियों का बिन्दुवार प्रत्युउत्तर निम्नवत् हैः—

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	प्रस्ताव में संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या में 3.915 हे0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित होनी दर्शायी गई है, जबकि अन्य प्रपत्रों में 3.7015 आरक्षित वन भूमि प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है। स्थिति स्पष्ट करें।	टंकण त्रुटीवश वनभूमि 3.915 है0 प्रभावित दिखायी गयी है जबकि वास्तविक प्रभावित वनभूमि 3.7015 है0 है। इस त्रुटी को संयुक्त निरीक्षण आख्या में शुद्व कर लिया गया है। दवं शुद्व संयुक्त निरीक्षण आख्या Online part I के Para में Upload कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव मे संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार विषयांकित परियोजना के प्रस्ताव में 593 वृक्षों का पातन निहित है। प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र-4 एवं प्रपत्र-17 के अनुसार प्रस्तावित मोटर मार्ग में 593 वृक्ष प्रभावित हो रहें है, जिसमें केवल 593 वृक्षों का पातन किया जायेगा, 593 वृक्षों को अन्यत्र रोपित किये जायेंगे का उल्लेख किया गया है। स्थिति स्पष्ट करें कि किन वृक्षों का अन्यत्र रोपित किया जाना है।	प्रपत्र 4 एवं प्रपत्र 17.1 टंकण त्रुटीवश 593 वृक्षों का पातन किया जायेगा एवं 593 वृक्षों को अन्यत्र रोपित किया जायेगा का उल्लेख किया गया है। जवकि वास्तविक रूपये सभी प्रभावित 593 वृक्षों का पातन किया जायेगा । टंकण त्रुटी को शुद्व कर लिया है तथा Online part I के Para में Upload कर दिया गया है।
3	एन0पी0वी0 की गणना इको-क्लास व घनत्व के अनुसार की जाय।	एन0पी0वी0 की गणना इको-क्लास व हरियाली घनत्व 0.4% के अनुसार की गयी है। जो रूपये 2569855.00 आंकलित की गयी है। एन0पी0वी0 की गणना Online part I के Para में Upload कर दिया गया है।
4	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग- II व III (सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी व वन संरक्षक द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र) प्रस्ताव संलग्न करें।	प्रपत्र भाग- II व III सम्बन्धित अधिकारी महोदय द्वारा प्रेषित किये जा रहें है।

अतः उपरोक्त सूचना अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार

अधिशासीअभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई
सिचांई खण्ड,लोहाघाट

पत्रांक /पी0एम0जी0एस0वाई0/ /तद्दिनांक

प्रतिलिपि — प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत को उक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

Scanned by CamScanner

(39)

परियोजना का नाम– जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर–तवाघाट से सिगदा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लैन्ड शेड्यूल
(आरक्षित वन भूमि/वन पंचायत/सिविल/नाप भूमि)

जिला	तहसील	ग्राम	खाता सं0	लम्बाई (मी0 में)	चौड़ाई (मी0 में)	क्षेत्रफल (हे0 में)
चम्पावत	बाराकोट	सिगदा (सिविल)	विभिन्न खातों में	*300*	7	*0.2100*
चम्पावत	बाराकोट	सिगदा (आरक्षित वन भूमि)	विभिन्न खातों में	4145	7	2.9015
चम्पावत	बाराकोट	सिगदा (आरक्षित वन भूमि मलवा निस्तारण हेतु)	विभिन्न खातों में			0.8000
चम्पावत	बाराकोट	सिगदा (नाप भूमि)	विभिन्न खातों में	3805	9	3.4245
चम्पावत	बाराकोट	सिगदा (नाप भूमि मलवा निस्तारण हेतु)	विभिन्न खातों में			0.9000
योग–						8.2360

कनिष्ट अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

वन क्षेत्राधिकारी
काली कुमाऊँ रेन्ज
चम्पावत वन प्रभाग

राजस्व उपनिरीक्षक
बाराकोट
25/02/2019

उपप्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

उपजिलाधिकारी
लोहाघाट

तहसीलदार
बाराकोट

(55)

प्रपत्र–15

परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर–तवाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 114 से सिगदा नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु **दिनांक 3/8/2018** को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित सम्पूर्ण वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :–

क्र0 सं0	वन ब्लाक / कम्पाटमेन्ट	प्रजाति	व्यास वर्ग से0मी0 (गोलाई में)									योग
			0. 10	10. 20	20. 30	30. 40	40. 50	50. 60	60. 70	70. 80	80 से अधिक	
1	वन ब्लाक / कम्पाटमेंन्ट पश्चिमी छीड़ा 22	साल	21	34	23	16	4	1	–	–	–	99
		साज	–	2	1	2	–	–	–	–	–	5
		चीड़	22	190	58	16	5	2	2	–	–	295
2	वन ब्लाक / कम्पाटमेंन्ट पश्चिमी छीड़ा 23	साल	17	93	23	20	6	2	–	–	–	161
		साज	–	2	6	6	3	2	–	–	–	19
		चीड़	–	1	2	1	–	2	1	–	–	7
		कुकाट	–	2	1	–	–	–	–	–	–	3
		महुआ	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
		चुरा	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2
		ऑवला	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
	कुल वृक्षों की संख्या		60	324	111	57	15	10	3	0	0	593

593

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन क्षेत्राधिकारी
काली कुमाऊँ रेन्ज
चम्पावत वन प्रभाग

उपजिलाधिकारी
लोहाघाट

ह0/–
राजि अधिकारी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–11

परियोजना का नाम– जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर–तवाघाट से सिगदा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लैन्ड शेड्यूल
(आरक्षित वन भूमि)

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे0)
चम्पावत	वन प्रभाग लोहाघाट	छीड़ा	बाराकोट	4435 मार्ग में	7	2.9015
चम्पावत	वन प्रभाग लोहाघाट	छीड़ा	बाराकोट	320 मलवा निस्तारण हेतु	25	0.8000
योग–						3.7015

कनिष्ट अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट
सहायक अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट
अधिशासी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

वन क्षेत्राधिकारी
काली कुमाऊँ रेन्ज
चम्पावत वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–42

परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर–तवाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 114 से सिगदा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :–

1. ईको–क्लास श्रेणी :– 5
2. हरियाली का घनत्व :– 0.4 0/0
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0 :– 657000 रु0
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल :– 3.9115 हे0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि :– 2569855 रु0

ह0/-
प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
काली कुमाऊँ रेन्ज
चम्पावत वन प्रभाग

Scanned by CamScanner

(10)

प्रपत्र–4

परियोजना का नाम– जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर–तवाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 114 से सिगदा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 3/8/2018 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री.**उत्तमनाथ गोस्वामी वन दरोगा**, राजस्व विभाग की ओर से **श्री इश्वरी प्रसाद** पटवारी, प्रस्तावक विभाग की ओर से कु0 दीपिका विष्ट **कनिष्ट अभियन्ता एवं** श्री अभिषेक मौर्य सलाहकार विवेक इंजी0 द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि **3.7015** हे0, सिविल सोयम वन भूमि 0.2100 हे0, एवं नाप भूमि 4.3245 हे0 प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरेखण को सर्वदा उपर्युक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से सिगदा की 757 जनसंख्या लाभान्वित होगी। प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर 593 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं । जिसमें केवल 593 वृक्षों का पातन किया जाएगा, 0 पौधे अन्यत्र रोपित किये जायेंगे । जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि **7.00** मी0 चौडाई मे प्रत्यावर्तित किये जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। वृक्षो का पातन मात्र **7.00** मी0 चौड़ाई मे ही कराया जायेगा। पातन होने वाले वृक्षो की गणना **7.00** मी0 चौड़ाई मे ही की गयी है।

ह0/–	**ह0/–**	**ह0/–** JE
(राजस्व विभाग का प्रतिनिधि) **(ग्राम प्रधान)**	**(वन विभाग का प्रतिनिधि)**	**(प्रयोक्ता एजेन्सी का प्रतिनिधि)**

रजि0 कानू0 ...
उपजिलाधिकारी लोहाघाट
वन क्षेत्राधिकारी काली कुमाऊँ रेन्ज चम्पावत वन प्रभाग

ह0/–	**ह0/–**
(जिलाधिकारी)	**(प्रभागीय वनाधिकारी)**

प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत
रा0 नि0 ... 25/02/019
Feb 25/2/19
तहसीलदार ...

Scanned by CamScanner

(99)

प्रपत्र–34

परियोजना का नाम– जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर–तवाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 114 से सिगदा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन भूमि के मूल्य /वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत प्रयोजन हेतु वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रूपये 657000.00 .प्रति हे0 है तथा उक्त प्रयोजन हेतु 3.9115 हे0 वन भूमि का कुल मूल्य रूपये 2569855.00 होता है। उक्त वन भूमि का वार्षिक लीज रेन्ट शून्य प्रतिशत की दर से रूपये 2569855.00 . होता है।

ह0/–

जिलाधिकारी

(... सिंह चौहान)
जिलाधिकारी
चम्पावत

रा0 उ0 नि0
बाराकोट

रा0 नि0
बाराकोट
25/02/019

तहसीलदार
बाराकोट

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

वन क्षेत्राधिकारी
काली कुमाऊँ रेन्ज
चम्पावत वन प्रभाग

उपजिलाधिकारी
लोहाघाट

Scanned by CamScanner

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
Phone/Fax :-05964-234118
Email address:-eepmgsylohaghat@gmail.com

दिनांक 25.11.2019।

पत्रांक-869/पी0एम0जी0एस0वाई0/ वनभूमि

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टनकपुर तवाघाट मोटर मार्ग से सिंगदा हेतु 3.915 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्ययावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 1195/PF/UK/ROAD/39053/2019 : देहरादून दिनांक 04 नवम्बर 2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव में लगाये गये ऑनलाइन आपत्तियों का बिन्दुवार प्रत्युउत्तर निम्नवत् है:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	प्रस्ताव में संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या में 3.915 है0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित होनी दर्शायी गई है, जबकि अन्य प्रपत्रों में 3.7015 आरक्षित वन भूमि प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है। स्थिति स्पष्ट करें।	टंकण त्रुटीवश वनभूमि 3.915 है0 प्रभावित दिखायी गयी है जबकि वास्तविक प्रभावित वनभूमि 3.7015 है0 है। इस त्रुटी को संयुक्त निरीक्षण आख्या में शुद्व कर लिया गया है। दवं शुद्व संयुक्त निरीक्षण आख्या Online part I के Para में Upload कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव मे संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार विषयांकित परियोजना के प्रस्ताव में 593 वृक्षों का पातन निहित है। प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र-4 एवं प्रपत्र-17 के अनुसार प्रस्तावित मोटर मार्ग में 593 वृक्ष प्रभावित हो रहें है, जिसमें केवल 593 वृक्षों का पातन किया जायेगा, 593 वृक्षों को अन्यत्र रोपित किये जायेंगे का उल्लेख किया गया है। स्थिति स्पष्ट करें कि किन वृक्षों का अन्यत्र रोपित किया जाना है।	प्रपत्र 4 एवं प्रपत्र 17.1 टंकण त्रुटीवश 593 वृक्षों का पातन किया जायेगा एवं 593 वृक्षों को अन्यत्र रोपित किया जायेगा का उल्लेख किया गया है। जवकि वास्तविक रूपये सभी प्रभावित 593 वृक्षों का पातन किया जायेगा। टंकण त्रुटी को शुद्व कर लिया है तथा Online part I के Para में Upload कर दिया गया है।
3	एन0पी0वी0 की गणना इको-क्लास व घनत्व के अनुसार की जाय।	एन0पी0वी0 की गणना इको-क्लास व हरियाली घनत्व 0.4% के अनुसार की गयी है। जो रूपये 2569855.00 आंकलित की गयी है। एन0पी0वी0 की गणना Online part I के Para में Upload कर दिया गया है।
4	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग- II व III (सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी व वन संरक्षक द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र) प्रस्ताव संलग्न करें।	प्रपत्र भाग- II व III सम्बन्धित अधिकारी महोदय द्वारा प्रेषित किये जा रहें है।

अतः उपरोक्त सूचना अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार

अधिशासीअभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई
सिचांई खण्ड,लोहाघाट

पत्रांक /पी0एम0जी0एस0वाई0/ /तद्दिनांक

प्रतिलिपि - प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत को उक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

Scanned by CamScanner

(29)

प्रपत्र–1

परियोजना का नाम– **जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर–तवाघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 114 से सिगदा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एंव स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आबादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सर्म्पक मार्ग से जोंडने का कार्यकम संचालित किया जा सकता है। उक्त के कम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासन के पत्रांक संख्या : 5610/पी–3–14/यू0आर0आर0डी0ए0/18 दिनांक 31.01.2018 उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया है। (शासनदेश की फोटो प्रति संलग्न है)

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सिगदा की आबादी 757 अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नही जुडी है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से काश्तकारों को अपने उपज का उचित मूल्य नही मिल पाता हैं। साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नही हो पाते है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा हैं। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जंहा युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगें, वही सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नापभूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वनभूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में **आरक्षित वन भूमि 3.7015 हे0, सिविल सोयम वन भूमि 0.2100 हे0, नाप भूमि 4.3245. हे0 प्रभावित हो रही है**। जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वन स्वरूप भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 समरेखणों पर विचार किया गया जिन्हे प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है।

संमरेखण नं0 1:– जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का समरेंखण स्थल जनपद चम्पावत के अन्तर्गत टनकपुर–तवाघाट मोटर मार्ग सिगदा के किमी0 114 से प्रारम्भ होता है इस समरेंखण पहाडी ढलान सामान्य ढलान श्रेणी के है। यह समरेंखण 18 सूखे तथा 0 चिर स्थानी नालो से होकर गुजरती है अधिकाश नाले प्रथम आर्डर के है। सडक संरेखण में 06 हेयर पिन बैण्डस है। सडक संरेखण का भाग निजी नाप तथा बंजर भूमि से होकर गुजरता है। संरेखण से सभी ग्रामवासी सहमत है। सहमति पत्र संलग्न है।

समरेखण नं0 2:– जो हरा रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार यह समरेंखण स्थल जनपद चम्पावत के अन्तर्गत टनकपुर–तवाघाट मोटर मार्ग सिगदा के किमी0 114 से प्ररम्भ होता है । समरेंखण में 8 हेयर पिन बैंड पड़ते हैं। समरेखण की लम्बाई 1.300 किमी0 अधिक है। इसमे अधिक सिविल भूमि नाप भूमि वन भूमि तथा वन पंचायत भूमि प्रयोग हो रही है। इस समरेखण से ग्रमवासी सहमत नही है। अतः तकनीकी एवं मितव्यता को दृष्टिगत रखते हुए यह संरेखण उचित नही पाया जाता है।

मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 5.000 किमी0 थी । जो कि मौके पर वास्ततिक लम्बाई 8.250 किमी0 है। राजस्व ग्रम सिगदा ग्रम पंचायत सिगदा के अन्तर्गत आते है।

कनिष्ट अभियन्ता	**सहायक अभियन्ता**	**अधिशासी अभियन्ता**
पी0एम0जी0एस0वाई0	पी0एम0जी0एस0वाई0	पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट	सिंचाई खण्ड लोहाघाट	सिंचाई खण्ड लोहाघाट

Scanned by CamScanner